बिजली में मांग पक्ष का प्रबंधन - राष्ट्रीय कार्यक्रम

प्रयास ऊर्जा समूह

लगातार चली आ रही बिजली की कमी, बिजली उत्पादन की वजह से होने वाले प्राकृतिक विनाश और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी मौजूदा और भावी चिंताओं के मद्देनज़र भारतीय नीतिकारों और नियामकों ने बिजली के इस्तेमाल की क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसी ही एक पहल 'डिमांड साइड मैनेजमेंट' (डीएसएम यानी मांग पक्ष का प्रबंधन) के रूप में की गई है, जिसमें ऊर्जा के इस्तेमाल की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी, ऊर्जा संरक्षण और लोड प्रबंधन शामिल हैं। इस पद्धति को बिजली के इस्तेमाल की दक्षता बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

भारत में कई कंपनियों में डीएसएम कार्यक्रम लागू किया जा चुका है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी (बीईई) ने कई बड़े उपकरणों और यंत्रों के लिए लेबलिंग कार्यक्रम भी शुरू किया है, लेकिन अंतिम उपयोग के बिंदु पर बिजली बचाने की क्षमता में बढ़ोतरी सीमित ही रही है। ऐसे में भारत में बिजली के इस्तेमाल की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों में राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी) पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

बिजली उपयोग की कार्यक्षमता बढ़ाने के मौजूदा प्रयासः

उपकरणों की डिज़ाइनिंग और डीएसएम कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर अधिकांश प्रयास राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में जितनी संभावना है, उसकी तुलना में तो प्रगति बहुत ही सीमित रही है। राज्यों में डीएसएम के धीमे विकास के प्रमुख कारणों में शामिल हैं :

भिन्न प्राथमिकताएं: बिजली के इस्तेमाल की कार्यक्षमता बढ़ाने से ज़्यादा महत्त्व आपूर्ति की कमी और तकनीकी व व्यावसायिक पारेषण एवं वितरण हानि (टीएंडडी लॉस) को दिया जा रहा है।

विशेषज्ञता की कमी: कंपनियों में इन मुद्दों की समझ व विशेषज्ञता की कमी और कार्य करने में दक्ष लोगों का अभाव भी एक कारण है।

जोखिम मोल न लेना: कंपनियां स्वयं अपना कार्यक्रम डिज़ाइन करने की बजाय अक्सर वही कार्यक्रम लागू करने को इच्छुक होती हैं जो अन्य एजेंसियों द्वारा डिज़ाइन किए जा चुके हैं, क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम कम होता है।

बीईई ग्यारह उत्पादों के लिए पहले ही लेबलिंग कार्यक्रम लागू कर चुका है और इसे अनिवार्य करने की दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। यह न्यूनतम कार्यक्षमता मानक (मिनिमम एफिशिएंसी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड) बन जाएगा। बीईई इस मानक में भी सुधार करने की योजना बना रहा है ताकि बिजली बचाने की दक्षता में लगातार इज़ाफा किया जा सके। इस तरीके से निश्चित रूप से बिजली बचाने की दक्षता में सुधार होगा, लेकिन बदलाव को जल्दी से क्रियान्वित करना होगा ताकि बिजली बचाने में अक्षम उपकरणों के विशाल स्टॉक से बचा जा सके। यदि राष्ट्रीय कार्यक्रम सावधानीपूर्वक लक्षित प्रोत्साहनों पर ध्यान दें तो इस बदलाव को कहीं तेज़ी से अमल में लाया जा सकता है।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के ज़रिए उच्च कार्यक्षमता की ओर कदम

राष्ट्रीय कार्यक्रमों की दो प्रमुख विशेषताएं हैं : (1) बिजली बचाने की क्षमता को एक नगर या एक राज्य की सीमा से आगे ले जाकर पूरे देश में लागू कर पाने की संभावना, और (2) उपभोक्ताओं के व्यवहार को बदलने की कोशिश करने की बजाय निर्माताओं के कामकाज को बदलने

पर ध्यान देना।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विकास के पीछे मुख्य विचार यह है कि महज़ बिजली की मांग में कटौती करने पर ही ध्यान देने की बजाय यदि बाज़ार का कायाकल्प इस तरह किया जाए कि बिजली बचाने में सक्षम उत्पादों का इस्तेमाल होने लगे तो डीएसएम कहीं अधिक प्रभावी होगा। ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के फायदे इस तरह हैं :

ट्रांज़ेक्शन लागत में कमी: जब हस्तक्षेप को एक-एक उपभोक्ता की बजाय निर्माता पर और एक-एक कंपनी की बजाय पूरे देश पर लक्षित किया जाएगा तो ट्रांज़ेक्शन्स की संख्या कम होगी और लागत भी कम होगी।

कार्यक्रम की लागत में कमी: निर्माता के स्तर पर ही दखल देने से मार्केटिंग और सेल्स की वजह से किसी उत्पाद की कीमत में बढ़ोतरी को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए 100 रुपए मूल्य के किसी उपकरण को बिजली की दृष्टि से कार्यक्षम बनाने के लिए निर्माता को केवल 10 रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है और इस तरह उस उपकरण की कीमत 110 रुपए होगी।

वहीं दूसरी ओर, यदि प्रोत्साहन खुदरा स्तर पर दिया जाए तो कई तरह की लागत व करों की वजह से बिजली बचाने में सक्षम उपकरण की कीमत 130 रुपए तक हो सकती है। इस तरह उपभोक्ता को 30 रुपए की छूट देने की ज़रूरत होगी।

मोलभाव की ताकत में बढ़ोतरी: यदि अलग-अलग कंपनियों की बजाय भारत की सभी कंपनियों की ओर से एक ही निकाय सीधे निर्माताओं से सौदेबाज़ी करेगा तो बाज़ार की विशालता के मद्देनज़र उसकी मोलभाव की क्षमता बढ़ जाएगी।

समन्वयन एवं प्रभावोत्पादकता: राष्ट्रीय कार्यक्रमों के मामले में खरीद प्रणाली विकसित करने और उसकी निगरानी व मूल्यांकन की ज़रूरत केवल एक ही बार होगी। तब प्रक्रियाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। इसका नतीजा बेहतर प्रणालियों के रूप में सामने आएगा। इसके अलावा नियामकों और कंपनियों को मुफ्तखोरी, रिसाव और बर्बादी जैसे पेचीदा पहलुओं की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी।

- राष्ट्रीय कार्यक्रम ट्रांज़ेक्शन लागत कम करने में मददगार हैं, इनका प्रबंधन आसान है, इन्हें और भी सरल बनाया जा सकता है, अधिक कुशल मूल्यांकन एवं निगरानी की जा सकती है और इस तरह ये अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही प्रदान करते हैं।
- भारतीय स्थितियों के अनुकूल उपकरणों की डिज़ाइन तैयार करने व उन्हें इस्तेमाल करने में राष्ट्रीय कार्यक्रम मददगार हो सकते हैं।
- राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय मानक और लेबल प्रोग्राम के साथ बेहतर समन्वयन में मदद करते हैं और मानकों में तेज़ी से विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
- मॉडल प्रोग्राम डिज़ाइन और मूल्यांकन एवं निगरानी योजनाओं के ज़रिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विकासशील देशों में उपलब्ध सीमित विशेषज्ञता के बेहतर उपयोग में मदद करते हैं।
- वित्तीय स्थिति व जवाबदेही में सुधार के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की गति में काफी बढ़ोतरी कर सकते हैं।

भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रयास एनर्जी ग्रुप द्वारा प्रस्तावित और लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेट्री (एलबीएनएल) द्वारा तैयार किए गए थे। एलबीएनएल, प्रयास और रेगुलेटरी असिस्टेंस प्रोजेक्ट ने इस अवधारणा को विश्व स्तर पर भी क्रियान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए info@prayaspune.org पर संपर्क किया जा सकता है। ***(स्रोत फीचर्स)***